**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 1 सुलतानपुर।**

उपस्थितः संध्या चौधरी {उच्चतर न्यायिक सेवा}

(जे०ओ० कोडः–UP 6161)

**********

UPST010023062026

**अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 692/2026**

सौरभ दूबे पुत्र अशोक दूबे, निवासी ग्राम दूबे का पुरवा बिझूरी, थाना जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर। .....प्रार्थी/अभियुक्त

**बनाम**

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0 264/2020
धारा 308,323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता
थाना जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर।

**19–03–2026**

प्रार्थी/अभियुक्त सौरभ दूबे की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध सं0 264/2020, धारा 308,323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता थाना जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 19.06.2020 समय सुबह करीब 07.30 बजे अपने साथियों के साथ बाइक से अपने ननिहाल मदार भारी जा रहे थे, प्रार्थी व प्रार्थी के साथी इलियास, अनवर चाय पीने वास्ते बिझूरी चौराहे के पास रूके, वही पर मौजूद सौरभ दूबे, विमलेश उर्फ विट्टू दूबे व इनके दो अन्य साथी प्रार्थी को गाली गलौच देते हुए मारने पीटने लगे। उपर्युक्त लोगों ने उसे जान से मारने धमकी दिया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि उपरोक्त मुकदमें की सभी धाराएँ सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय होने के कारण सम्बन्धित विवेचक द्वारा प्रार्थी को धारा 41 जा0फौ0 की नोटिस तामील करायी गयी थी तथा प्रार्थी ने पूर्ण रूप से विवेचना में सहयोग किया था और दौरान मुकदमा प्रार्थी की गिरफ्तारी नहीं हुयी थी। सम्बन्धित विवेचक द्वारा उपरोक्त अभियोग में विवेचना करने के पश्चात प्रार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र सम्बन्धित न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है और अब कोई भी विवेचना शेष नहीं है। उपरोक्त मुकदमा सर्वप्रथम वादी मुकदमा की तहरीर पर अन्तर्गत धारा 323,504, 506 भा0दं0सं0 में पंजीकृत हुआ और दौरान विवेचना धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी, फिर भी प्रार्थी/अभियुक्त पर लगायी गयी समस्त धाराएँ सात वर्ष से कम की अवधि से दण्डनीय है। इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई में पारित सिद्धांतों का लाभ पाने का अधिकारी है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है और उसे मुकदमा में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। कथित मुकदमें के चोटहिल की मेडिकल रिपोर्ट दिनांकित 20.06.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चोटहिल की सभी चोट साधारण प्रकृति की पायी गयी है तथा चोटलि के शरीर पर कोई फ्रैक्चर भी नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 जा0फौ0/482 बी0एन0एस की उपधारा 4 में वर्णित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थी/अभियुक्त धारा 482(2)(I)(III) में उल्लिखित शर्तो को मानने व ऐसी अन्य शर्ते जिसे न्यायालय द्वारा प्रार्थी के ऊपर अधिरोपित करेगी उसे मानने को तैयार है और उनका पालन करने केलिए स्वयं को आबद्ध रखेगा। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुये, यह कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त पर वादी को गाली गलौच करते हुए मार पीट कर गम्भीर चोट पहुॅचाने का आरोप है। चोटहिल की आघात आख्या पत्रावली में संलग्न है, जिसके अनुसार चोटहिल के दाहिनी तरफ माथे पर व कंधे पर चोट पायी गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में सात वर्ष से कम सजा का प्राविधान है। विवेचना के पश्चात आरोप पत्र दाखिल

किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था **पी0 चिदम्बरम बनाम डायरेक्टरेट आफ इन्फोर्स मेन्ट एस0आई0आर0 2019 ए0सी0 4196** में माननीय उच्चतम न्याायलय द्वारा यह विनिश्चियन किया गया कि अग्रिम जमानत मात्र उन अपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार की जा सकती है जबकि न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि अभियुक्त के विरूद्ध घटना कारित करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अग्रिम जमानत का अस्वीकार किया जाना किसी के दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं है। अग्रिम जमानत एक आपवादिक अनुतोष है, जिसे मात्र अपवादिक परिस्थितियों में प्रदान किया जाना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य इस स्तर पर केस डायरी पर उपलब्ध है। **ईदू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 : AHC-LKO : 31814 (CRIMINAL Misc. Bail Application No.-3179 of 2024)** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल जाने से बचाना है, न कि उस व्यक्ति को जेल जाने से बचाना है जिसके विरूद्ध कोई साक्ष्य विद्यमान हो। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त साक्ष्य विश्वसनीय साक्ष्य है अथवा नहीं, इसका निर्धारण जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता है बल्कि विचारण के बाद ही किया जा सकता है

माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य व अय (2020)5 एस0एस0सी0 (1) (संवैधानिक पीठ)** में यह विनिश्चय किया गया है कि अग्रिम जमानत एक अपवादित अधिकार है, जिसका अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग करना चाहिए। धारा 438 द0प्र0सं0 कोई निर्वाद अधिकार नहीं है। अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय के समक्ष वैधानिक कारण होना चाहिए, जिन मामलों में मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास का दण्ड प्राविधानित है, उन मामलों में जब तक अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। जबतक कि प्रारम्भिक स्तर पर ही न्यायालय का समाधान न हो जाए कि अपराधी पर लगाया गया आरोप मिथ्या है। अग्रिम जमानत पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की गम्भीरता, अभियुक्त की अपराध में भूमिका और घटना के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करना चाहिए। धारा 438 द0प्र0सं0 में निहित प्रदत्त अधिकार न्यायालय का स्व–विवेक शक्ति है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार मौजूद नही है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थी/अभियुक्त सौरभ दूबे की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

Sd/-
(संध्या चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 1, सुलतानपुर।
JO Code UP 6161

दिनांक 19–03–2026